छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
----000----
//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 MAR 2023

क्रमांक एफ 20-07/2023/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यस्था में कृषि पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कृषि, उद्यानिकी तथा वनोपज उत्पादों को स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन किये जाने के के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर हेतु लोकहित में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 6.27 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में **" ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022"** लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए लागू होगी। इस नीति को औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक-15.1 की तालिका में अनुक्रमांक 25 तथा परिशिष्ट क्रमांक 6.25 पर समावेशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-07/2023/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2023

प्रतिलिपि :-

1. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, ...विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. **संचालक,** उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
4. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
5. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
6. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

— हस्ता. —
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
----000----
//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक , 2023

क्रमांक एफ 20-07/2023/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यस्था में कृषि पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कृषि, उद्यानिकी तथा वनोपज उत्पादों को स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन किये जाने के के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर हेतु लोकहित में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 6.27 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में **" ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022"** लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए लागू होगी। इस नीति को औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक-15.1 की तालिका में अनुक्रमांक 25 तथा परिशिष्ट क्रमांक 6.25 पर समावेशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ता. —
(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-07/2023/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 MAR 2023

प्रतिलिपि :-

1. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, ...विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. **संचालक,** उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
4. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर,
5. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
6. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रारूप गोपनीय

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023–24

'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'

आत्मनिर्भर और निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की ओर

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण पृष्ठ	क्रमांक
1	प्रारंभिक	3
2	दृष्टि (Vision)	3
3	मिशन (Mission)	3
4	प्रस्तावना (Introduction)	5
5	उद्देश्य (Objective)	6–7
6	रणनीति (Strategy)	7–9
7	प्रशासनिक प्रबंध (Administrative Management)	9
8	अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन	9
9	विपणन सहायता	10–11
10	ब्रांडिंग (Branding)	11
11	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	11–12
12	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति की समयावधि एवं समीक्षा	12
13	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विशिष्ट सेक्टरों के लिए प्रावधान	12
परिशिष्ट –1	उच्च प्राथमिकता विकास खंड	13–16
परिशिष्ट –2	उच्च प्राथमिकता उद्योग	17–18
परिशिष्ट –3	हैण्डलूम, खादी एवं हस्तशिल्प के लिये प्राथमिकता उद्योग	19
परिशिष्ट –4	हैण्डलूम के लिये विशेष प्रावधान	20
परिशिष्ट –5	खादी के लिये विशेष प्रावधान	21
परिशिष्ट –6	हस्तशिल्प एवं माटीकला के लिए विशेष प्रावधान	22
परिशिष्ट –7	रेशम एवं टसर प्री–फैब्रिक स्टेज के लिये विशेष प्रावधान	23

1. प्रारंभिक कथन

1.1 छत्तीसगढ़ शासन की औद्योगिक नीति 2019–24 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग सहित समस्त प्रकार के उद्योगों पर लागू है। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के महत्व एवं विशेष आवश्यकताओं को देखते हुये ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के लिये 'औद्योगिक नीति 2019–24 में कुछ अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस ग्रामोद्योग उद्योग नीति के द्वारा किया जा रहा है ।

1.2 जब तक संदर्भ व्दारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023–24 में उपयोग की गयी शब्दावली की परिभाषायें एवं अर्थ छत्तीसगढ़ शासन की औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुसार होंगे ।

2. दृष्टि (Vision)

2.1 रोजगार मूलक समावेशी और धारणीय विकास के उद्देश्य से महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण के माध्यम से एवं स्थानीय उद्यमिता तथा रोजगार द्वारा एक आत्मनिर्भर और निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण ।

3. मिशन (Mission)

3.1 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है । छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है । धान के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में और भी अनेक महत्वपूर्ण फसलें जैसे कोदों, कुटकी, रागी, मक्का,आदि का उत्पादन होता है । प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में टमाटर तथा अन्य सब्जियों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है । कुछ समय से राज्य के कुछ क्षेत्रों में चाय, कॉफी, काजू जैसे फसलें लेना भी प्रारंभ किया गया है । छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ–साथ पशुधन की संख्या काफी है, जिसका उपयोग प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए बड़ी आसानी से किया जा सकता है। प्रदेश में बहुत सारे तालाब उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग मछली पालन के लिए किया जा सकता है, इसी तरह कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन तथा कोसा पर आधारित रेशम का उत्पादन भी किया जा रहा है । इन सभी का और विकसित करने को कार्य इस नीति द्वारा किया जायेगा।

3.2 छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा क्षेत्र वनों से आच्छादित है । प्रदेश में लघु वनोपज के माध्यम से अनेक आर्थिक गतिविधियां की जा रही हैं । उदाहरण के लिए बांस, विभिन्न प्रकार की वन औषधियों का उपयोग कर बनाए गए उत्पाद, लाख पालन, आदि । विगत 4 वर्षों में राज्य में लघु वनोपज के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई है । जहां पूर्व में केवल 6 वनोपज की शासकीय खरीदी की जाती थी, वहीं अब 65 प्रकार के वनोंपजों की शासकीय खरीदी की जा रही है । लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बलस ब्रांड के तहत विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय सफलतापूर्वक किया जा रहा है । इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिनका संवर्धन इस नीति के माध्यम से किया जायेगा।

3.3 वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में गौठानो को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया है । प्रदेश में लगभग 10000 गौठान पुनर्जीवित किए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हुआ है। गौठानों की सफलता से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना प्रारंभ की है। इस

योजना में ₹ 2 प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीदी तथा ₹ 4 प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी राज्य सरकार व्दारा की जाती है । इस गोबर का उपयोग गौठानों में वर्मीकंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है । इस प्रकार प्रदेश जैविक कृषि की ओर अग्रसर है। प्रदेश की इस नवाचारी योजना से गरीबों को आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, साथ ही यह योजना पर्यावरण के लिए भी बहुत हितकारी है । क्योंकि इससे पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है । जहां उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में धान की पराली को जला दिया जाता है, जो उत्तर भारत में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जबकि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के प्रयासों से इस पराली या पैरा को किसानों के द्वारा गौठानों को दान किया जा रहा है । यह पैरा पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है तथा पशुओं के गोबर से निर्मित वर्मीकंपोस्ट को खाद के रूप में पुनः खेतों में उपयोग किया जाता है। .इस प्रकार कार्बन चक्र पूर्ण हो जाता है और पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। गोबर,गोमूत्र एवं अपशिष्ट से बने उत्पादों को इस नीति में विशेष प्रोत्सहन दिया जायेगा।

3.4 राज्य में कृषि, पशुधन एवं वनधन को शामिल करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नीव गौठानो के रूप में रखी गई है । गौठानों के पुनर्जीवित होने के कुछ महीनों के भीतर ही गौठानों में अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं, एवं गौठान मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित होने लगे थे। महिला एवं युवा स्व सहायता समूहों के माध्यम से गौठानों में गोबर के दिये, गोबर के गमले, विभिन्न प्रकार के साबुन, बड़ी, पापड़, अचार, अगरबत्ती, आदि अनेक छोटे–छोटे कुटीर उद्योग प्रारंभ किये गए। इन कुटीर उद्योगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ महीनों के भीतर काफी सुधार हुआ है । इससे उत्साहित होकर राज्य सरकार ने गांवों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क (RIPA) बनाने का निर्णय लिया है। यह रीपा गौठानों के आसपास बनाए जा रहे हैं । इनमें छोटे–छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जैसे वर्कशेड, बिजली और पानी की व्यवस्था, अप्रोच रोड, बैंकिंग सुविधाएं, बाजार की व्यवस्था, आदि. प्रथम चरण में 600 करोड रुपए की लागत से 300 रीपा को स्वीकृति दी गई है। इस माध्यम से प्रदेश में न केवल ग्रामोद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश की जनता को आर्थिक उन्नति एवं बेहतर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे. इस नीति के ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामीण औद्योगिक पार्क (RIPA) एवं शहरी क्षेत्रो में शहरी औद्योगिक पार्क (UIPA) के माध्यम से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जायेगा।

3.5 प्रदेश के अनेक छोटे उद्यमी सेवा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे है, जैसे – नाई, धोबी, नलसाज, राज मिस्त्री, बिजली मिस्त्री आदि। इस नीति में छोटे निवेशकों के सेवा क्षेत्र में उद्यम को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.6 इस ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति का लक्ष्य प्रदेश के छोटे–छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, छोटे निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना एवं रोजगार के नवीन अवसरों का निर्माण करना है, जिससे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और सब लोग एक साथ मिलकर उन्नति के रास्ते पर चलकर प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दे सकें।

4. प्रस्तावना (Introduction)

4.1 छत्तीसगढ़ में उद्योगों के रूप में प्रमुख रूप से खनन उद्योग का कार्य लंबे समय से होता रहा है । खनन उद्योग में प्रमुख रूप से कोयला, आयरन–ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन आदि शामिल हैं। इन्हीं पर आधारित उद्योग भी प्रदेश में विकसित हुए हैं, जैसे कोयले पर आधारित पावर प्लांट, आयरन–ओर पर आधारित स्टील उद्योग, लाइमस्टोन पर आधारित सीमेंट उद्योग आदि । कुछ समय से रायगढ़, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में अन्य उद्योग भी स्थापित हुए हैं । परंतु इन उद्योगों का सीधा लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल सका है। बड़े उद्योगों में अधिकांश काम मशीनों से होता है । इसलिए वह रोजगार के प्रमुख स्रोत नहीं हो सकते है । प्रदेश के लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए प्रमुख आधार ग्रामोद्योग ही हो सकता हैं. छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यह ग्रामोद्योग कृषि, पशुधन एवं वनों पर आधारित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग हैं ।

4.2 राज्य में नई सरकार के गठन के बाद उद्योग नीति मैं बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की योजना के माध्यम से निवेशकों को नई और बड़ी सुविधाएं मिली हैं। प्रदेश की उद्योग नीति में ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है। अब इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदेश के ग्रामोद्योगों को भी मिलें, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे कुटीर उद्योग लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके।

4.3 पारंपरिक रूप से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में बुनकर सूती एवं कोसा वस्त्रो का उत्पादन करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोसा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बड़ा लोकप्रिय है । छत्तीसगढ़ में कॉटन के हैंडलूम वस्त्रों का भी उत्पादन पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। हैंडलूम एवं कोसा के वस्त्रों को बढ़ावा देकर उद्योग के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं राज्य में मौजूद हैं । महात्मा गांधी के स्वप्न खादी को बढ़ावा देने के लिये भी छत्तीसगढ़ कृत संकल्पित है। विगत एक वर्ष से राज्य में शहतूत पर आधारित रेशम के उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ किया गया है, जिसे विस्तारित करने की संभावनायें भी काफी हैं । मैनपाट में तिब्बत से आए लोगों से सीख कर कालीन बनाने का कार्य भी कुछ वर्षों से प्रारंभ हुआ है । प्रदेश के बुनकारों को संगठित कर हैण्डलूम वस्त्रों के उत्पादन और विक्रय में सहायता का कार्य हाथकरघा संघ व्दारा किया जा रहा है । खादी के प्रचार–प्रसार का कार्य और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के प्रसार के लिये खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य में किया गया है । जांजगीर–चांपा जिले में एक महाविद्यालय संचालित है, जिसका उपयोग हैंडलूम के नये डिजाइन, डाइंग, कलरिंग आदि में किया जा सकता है, जिससे प्रदेश के हैंडलूम वस्त्र उद्योग को बेहतर बनाने में सुविधा होगी ।

4.4 छत्तीसगढ़ में बहुत से पारंपरिक शिल्पी रॉट–आईरन, बेल–मेटल, काष्ठशिप्ल, बांस शिल्प आदि की कलाकृतियां लंबे समय से बनाते रहे हैं । इन सभी पारंपरिक कलाओं में निपुण शिल्पी पूरे प्रदेश में हैं, जिन्हें बढ़ावा देकर इन कलाओं पर आधारित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए प्रदेश में हस्तशिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है ।

4.5 छत्तीसगढ़ में माटी कला का कार्य भी पारंपरिक रूप से होता रहा है । राज्य में माटी कला के विस्तार के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है । कुछ समय पूर्व माटी कला बोर्ड द्वारा रेड–क्ले के साथ–साथ व्हाइट–क्ले और सिरामिक का कार्य भी प्रारंभ किया गया है, जिससे प्रदेश के कुम्हारों को बेहतर कार्य करने में सुविधा होगी। माटी कला पर आधारित अनेक कुटीर उद्योग प्रदेश में लगाए जा सकते हैं।

4.6 वनोपजों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में लघु वनोपज संघ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । कुछ समय पूर्व छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के अंतर्गत अनेक वन औषधियों से संबंधित उत्पादों पर कार्य प्रारंभ किया गया था। इन उत्पादों की ब्रांडिंग एवं विक्रय बेहतर ढंग से किया जा रहा है जिसे और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

4.7 प्रदेश में गौठानों तथा ग्रामीण एवं शहरी औद्योगिक पार्कों को बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा, जिससे युवाओं को उद्यमियों के रूप में निवेश करने का अवसर मिल सके ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के माध्यम से छोटे–छोटे कुटीर उद्योगों का ऐसा जाल बिछाया जा सके, ताकि छत्तीगसढ़ की पहचान ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के रूप में बन सके । यह उत्पाद प्रदेश में तो उपयोग किए ही जाएंगे साथ ही इनका प्रदेश के बाहर निर्यात करने का प्रयास भी किया जाएगा। राज्य के कुछ उत्पाद तो इतने अच्छे हैं कि उन्हें विदेशों में निर्यात करने के अवसर भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं ।

4.8 राज्य में परम्परागत कुटीर उद्योग के अतिरिक्त आधुनिक कुटीर उद्योग जैसे :– एल.ई.डी. बल्ब, सेनेटाईजर, डिर्टजेन्ट पावडर आदि का उत्पादन करने की आपार संभावनाएँ है। इन सभी को इस नीति के द्वारा प्रोत्साहन दिया जायेगा।

5. <u>उद्देश्य (Objectives)</u>

5.1 राज्य की कृषि तथा पशुधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश में ऐसे ग्रामोद्योगों का विकास करना जो न केवल प्रदेश के लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा सकें बल्कि जिनका निर्यात प्रदेश के बाहर भी हो सके ।

5.2 प्रदेश में मिलने वाली लघु वनोपज का पूर्ण उपयोग प्रदेश के भीतर ही हो सके तथा उसमें वैल्यू एडिशन करके प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक आर्थिक लाभ मिल सके । इसके लिए वनोपज पर आधारित कुटीर उद्योगों का विकास, उनकी ब्रांडिंग तथा उत्पादों का विक्रय करने की व्यवस्था करना ।

5.3 ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में निवेश कर उद्यमी के रूप में नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं इन क्षेत्रों में **Startups** को प्रोत्साहित करना है ।

5.4 प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उनके घर के आसपास ही उपलब्ध कराना जिससे उन्हें रोजगार के लिए अपने गांव और घर से दूर जाने की आवश्यकता न रहे।

5.5 पर्यावरण संरक्षण करते हुए समावेशी एवं धारणीय विकास ।

5.6 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिससे प्रदेश के पारंपरित शिल्प आदि का भरपूर विकास हो सके, तथा इनके लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लागत कम की जा सके ।

5.7 आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बेहतर डिजाइन, विकसित करना जिससे प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों के विक्रय में सुविधा हो ।

5.8 प्रदेश के ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की बेहतर ब्रांडिंग करके बाजार तक अच्छी पहुंच बनाना ।

5.9 महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में निवेश के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे यह लोग प्रदेश के विकास में सहभागिता करने के लिए उद्यमियों के रूप में अपना विकास भी कर सकें और प्रदेश के विकास में सहभागिता कर सकें।

5.10 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में गैर पारंपरिक उत्पादों जैसे, गोबर पेंट, गोमूत्र इन्सेक्टिसाईड, गोबर गैस से बिजली उत्पादन, अनेक Sunrise Sector आदि का विकास करना और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात करना ।

5.11 राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिकाधिक नए अवसर उपलब्ध कराना ।

5.12 राज्य के ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना ।

5.13 विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना ।

5.14 शिल्पियों के लिये डिजाइन, बेहतर उत्पादन प्रक्रियाओं और व्यापारिक कौशल का प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर उनके उत्पादों की विक्रय क्षमता में बढ़ोतरी ।

5.15 शिल्पियों को बेहतर कार्यस्थल प्रदान करने के लिये, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये एवं बजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिये अधोसंरचनाओं का विकास ।

5.16 शिल्पियों को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद बनाने के लिये बेहतर एवं आधुनिक उपकरण एवं टूल्स उपलब्ध कराना।

5.17 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों को ऋण, स्थाई एवं कार्यशील पूँजी, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्रदान करना।

5.18 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में सहकारिता का विकास एवं सहकारी समितियों को ऋण तथा बाजार की सुविधायें उपलब्ध कराना ।

5.19 पर्यावरण के अनुकूल, उत्पाद, कच्चा माल एवं प्रक्रियाओं का उपयोग ।

6. <u>रणनीति (Strategy)</u>

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य की 'औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका–5 में दी गयी सभी रणनीतियों का उपयोग निम्नलिखित संशोधनों के साथ किया जायेगाः –

6.1.1 प्रदेश के जिन विकास खंडों में पारंपरिक रूप से जो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग प्रचलित हैं, उन विकासखंडों को उन ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिये उच्च प्राथमिकता विकासखंड वगीकृत किया गया है । ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगवार ऐसे उच्च–प्राथमिकता वर्गीकृत विकास खंडों की सूची इस नीति के परिशिष्ट–1 पर दी गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य की 'औद्योगिक नीति 2019–24 में विकासखंडों को विकसित, विकासशील, पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े विकासखंड की श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। इस नीति के परिशिष्ट–1 में दिये गये विकासखंडों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को उन सभी सुविधाओं की प्रात्रता होगी जो 'औद्योगिक नीति 2019–24 में परिशिष्ट–7–द के अत्यन्त पिछड़े विकासखंडों में उद्योगों को मिलती हैं । अर्थात् इस नीति के परिशिष्ट–1 में दिये गये विकासखंड संबंधित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के लिये अत्यंत पिछड़े वर्ग (श्रेणी–द) के माने जायेंगे, चाहे वे 'औद्योगिक नीति 2019–24 में किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत हों ।

6.1.2 इस नीति के अन्तर्गत 01 करोड़ के निवेश सीमा वाले ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को सुविधाएँ प्रदान की जायेगी तथा यह सुविधायें वहीं होगी, जो औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु श्रेणी के उद्योग को दी जाती है, चाहें ऐसे उद्योगों की स्थापना ग्रामीण अथवा नगरीय/शहरीय क्षेत्रों में हुई हो।

6.1.3 प्रत्येक जिले में स्थानीय संसाधन एवं कच्चा माल की उपलब्धता के अनुसार उन पर आधारित उद्योगों की उन्ही जिलों में स्थापना को ग्रामीण एवं शहरी औद्योगिक पार्कों (RIPA & UIPA) के माध्यम से प्रोत्साहन की नीति ।

6.1.4 राज्य में कार्यरत बुनकरों, शिल्पियों एवं अन्य ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग से संबंधित शिल्पियों का सर्वे के माध्यम से चिन्हांकन एवं डाटाबेस को और अधिक विस्तृत कर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

6.1.5 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए कलस्टर/ग्रुप एप्रोच अपनाते हुए क्षेत्र विशेष में सामान्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सामूहिक सुविधा उपलब्ध कराना ।

6.1.6 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग से संबंधित इकाईयों की स्थापना के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जावेगा तथा दस्तावेजों की संख्या यथासंभव कम की जावेगी ।

6.1.7 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु अनुमति/अनुमोदन/स्वीकृति आदि जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना के समय सीमा का निर्धारण किया जावेगा यथासंभव दस्तावेंजों/प्रमाणपत्रों का स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था की जावेगी ।

6.1.8 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं महिला उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जावेगा ।

6.1.9 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन करके इस योजना को ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के लिये बेहतर श्रमबल तैयार करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिये उपयुक्त बनाया जायेगा ।

6.1.10 आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा भविष्य के लिये उपयुक्त प्रौद्यागिकी (Future Ready Technology) में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था

की जायेगी, जिससे कम्प्यूटर एडेड डिजाइन (CAD), आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिन्स (IOT), ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की लिये किया जा सके ।

7. प्रशासनिक प्रबंध (Administrative Management)

7.1.1 इस नीति के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक प्रबंध की व्यवस्थायें वही होंगी जो छत्तीसगढ़ शासन की 'औद्योगिक नीति 2019–24' में दी गयी हैं । जहां आवश्यक होगा वहां ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिये राज्य स्तर पर संचालक/आयुक्त हथकरघा एवं ग्रामोद्योग को संबंधित समितियों का सदस्य रखा जायेगा ।

7.1.2 ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न घटकों की यह जिम्मेदारी होगी, कि वे अपने सेक्टर से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को इस नीति के तहत सुविधायें प्राप्त करने के लिए सहायता करें।

7.1.3 जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित घटकों के प्रमुख सचिव/संचालक/अपर संचालक को राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा विशेष आंमत्रण के तौर पर बुलाया जा सकेगा।

8. अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन

8.1 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये अधोसंरचनाओं का विकास ग्रामीण औद्योगिक पार्कों (रीपा) के माध्यम से किया जायेगा। ग्रामीण/शहरी औद्योगिक पार्कों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग हेतु प्लॉट, वर्कशेड, अप्रोच रोड, बिजली, पानी, भंडारण एवं उत्पादों के विपणन हेतु अन्य भौतिक अधोसंरचनायें उपलब्ध कराई जायेंगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय सेवाओं, अपशिष्ट प्रबंधन, इंटरनेट आदि की सामान्य सुविधा भी विकसित की जायेंगी ।

8.2 इन ग्रामीण/शहरी औद्योगिक पार्कों में उद्योग एवं ग्रामोद्योग विभाग व्दारा इस नीति एवं औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के लिए आवेदन करने, बैंकिंग क्षेत्र से ऋण का आवेदन करने, बिजली बोर्ड एवं अन्य संस्थाओं से बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिये आवेदन करने, विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के लिये आवेदन करने और उद्योग विभाग के अंतर्गत सिंगिल विंडो प्रणाली का उपयोग करने में सहायता देने के लिये जिला कलेक्टर द्वारा व्यवस्था की जायेगी ।

8.3 ग्रामीण/शहरी औद्योगिक पार्कों के विकास एवं उनमें सामान्य सुविधा देने के लिये निजी क्षेत्र का सहयोग किया जायेगा ।

8.4 राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्वीकृत किये जा चुके हैं । इनकी संख्या को यभासंभव बढ़ाया जायेगा । पांच वर्षों के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने का लक्ष्य है ।

8.5 ग्रामीण एवं शहरी औद्योगिक पार्कों (RIPA/UIPA) में उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उद्योग विभाग द्वारा जिलेवार निर्धारित दर के 50 प्रतिशत दर पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्लॉट एवं वर्कशेड उपलब्ध कराया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों तथा महिला उद्यमियों को इसमें छुट दी जायेगी। महिला उद्यमियों का उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित दर के 10 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। यह

अतिरिक्त छुट केवल उन महिला उद्यमियों को दी जायेगी जिनके उद्योग में कम से कम 60 प्रतिशत महिलायें कार्यरत होंगी।

8.6 इस नीति के अंतर्गत छुट पाने वाले उद्योग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे उसी ग्राम पंचायत अथवा निकटस्थ ग्रामों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगे।

8.7 RIPA/UIPA अतंर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में 3–5 एकड़ भूमि का चयन कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। RIPA/UIPA में अन्य अधोसंरचना के अतिरिक्त 5000–20,000 वर्गफुट के प्लॉट विकसित किये जायेगें तथा आंतरिक सड़क का निर्माण किया जायेगा। 20,000 वर्गफुट के प्लॉट अधिकतम 10 प्रतिशत होगें। प्लॉट के आकार का निर्धारण आवश्यकता अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

9. <u>विपणन सहायता</u>

9.1 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिये राज्य के ग्रामीण उद्योगों की निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिये निर्यात संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के साथ समन्वय कर इन संस्थाओं के कार्यालय की स्थापना हेतु प्रयास किये जायेगें।

9.2 छत्तीसगढ़ में स्थापित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के उत्पाद के विक्रय के लिये सी–मार्ट में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

9.3 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादो को उपभोक्ताओं तक तथा अधिक आकर्षक रूप में पहुंचाने हेतु पैकेजिंग पर विशेष बल दिया जावेगा .इस हेतु राष्ट्रीय स्तर के पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञो की सेवायें ली जायेंगी ।

9.4 राज्य के विभिन्न क्षेत्र में उत्पादित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों की ब्रांडिंग सुनिश्चित करने व स्थापित करने हेतु ट्रेड मार्क पंजीयन किया जावेगा ।

9.5 राज्य के शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता हेतु बार–कोड, टेगिंग, आई.एस.आई., जी. आई., हॉल मार्क, आई.एस.ओ. आदि को प्रोत्साहन ।

9.6 प्रदेश के कारीगरो/बुनकरों/शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद जो किसी क्षेत्र विशेष के नाम से पहचाने जाते हों (जैसे **<u>चांपा साड़ी</u>**) की ब्रांडिग उस स्थान विशेष के नाम से करते हुए उसके प्रचार–प्रसार को प्रोत्साहित करना। ऐसे उत्पादों हेतु जी.आई.टैग प्राप्त करने हेतु इस नीति अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

9.7 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के सभी उत्पादों को ऑन–लाईन विक्रय हेतु सी–मार्ट ई कामर्स पोर्टल विकसित किया जायेगा। साथ ही ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के सभी उत्पादों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने के लिये भण्डार क्रय नियम में यथोचित प्रावधान किये जायेगें।

9.8 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न समारोह/आयोजनों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की विभिन्न कलाओं जैसे, शिल्पियों/बुनकरो, कारीगरो, रेशम एवं माटीकला को प्रदर्शित करने के लिए वृतचित्र तैयार किया जायेगा।

9.9 राज्य के ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले व्यापारिक मेलों, प्रदर्शनी में participation हेतु वित्तीय सहायता के लिये योजना बनाई जायेगी।

10. ब्रांडिंग (Branding)

10.1 विपणन में ब्रांडिंग का बड़ा महत्व है। साड़ियों के लिये विशेषकर साड़ी बनाने वाले शहर के नाम से ब्रांडिंग की जाने का प्रचलन है, जैसे बनारसी, चंदेरी, आदि। छत्तीगसढ़ में कोसा के लिये **चांपा एवं कॉटन के लिये छुईखदान ब्रांड** बनाने का प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार कालीन के लिये मैनपाट ब्रांड, बेल मेटेल के लिये कोण्डागांव ब्रांड आदि के बारे में विचार किया जा सकता है ।

10.2 ब्रांडिंग के लिये हेंडलूम के बड़े बेनरों के साथ अनुबंध करके विक्रय का प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार फिल्म एवं स्पोर्ट्स के स्टार्स को ब्रांड एम्बेसेडर बनाने पर विचार किया जायेगा।

10.3 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के लिये शासन द्वारा एक पूरी मार्केटिंग रणनीति बनाई जायेगी, जिसमें सभी बिन्दु समाहित हो सकें।

11. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान (Provision for Investment Incentives for Rural Industries)

11.1 "ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति–2023–24" के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित रणनीति अपनाते हुए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विस्तार, विद्यमान ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों में प्रतिस्थापना, शवलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) हेतु निवेश प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका–15 एवं उसमें उल्लेखित परिशिष्टों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन अनुदान छूट रियायतें दी जावेंगी। हैंडलूम एवं ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के प्रयोजन के लिये उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता के उद्योगों की सूची परिशिष्ट–2 में दी गयी है। परिशिष्ट–2 में दिये गये उद्योगों को यथास्थिति उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता उद्योग के अनुसार छूट एवं रियायतें, औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुसार दी जायेंगी।

11.2 इसी प्रकार इस नीति के परिशिष्ट–1 में संबंधित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों हेतु उच्च प्राथमिकता विकासखंडों की सूची दी गयी है । इन विकासखंडों में संबंधित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 के 'द' श्रेणी के विकासखंडों के लिये लागू छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी।

11.3 जो उद्यमी इस नीति के अन्तर्गत रियायत प्राप्त करते है। उन्हे औद्योगिक नीति 2019–24 अन्तर्गत अतिरिक्त छुट या रियायत की पात्रता नहीं होगी। इसी प्रकार जिन उद्यमियों ने औद्योगिक नीति 2019–24 में छूट या रियायत प्राप्त की है उन्हे इस नीति में छूट या रियायत प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

11.4 निकास नीति (Exit Policy) – निकास नीति में निर्धारित समय पर उद्योग प्रारम्भ नहीं करने पर या उद्योग बंद कर देने की स्थिति में प्राप्त छूट या रियायत के साथ आबंटित भूमि संबंधित विभाग को वापस करना रहेगा।

12. **" ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति–2023–24"** की समयावधि एवं समीक्षा

12.1 यह **"ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति–2023–24"** नीति वर्ष नियत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 अक्टूबर, 2024 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस नीति के परिणाम के अनुसार **ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग** के विकास की समीक्षा कर इस नीति के प्रावधानों को संशोधित/निरस्तकर सकेगी या इसमें अतिरिक्त प्रावधानों को सम्मिलित कर सकेगी।

13. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विशिष्ट सेक्टरों के लिये प्रावधान

13.1 हैंडलूम के लिये विशिष्ट प्रावधान परिशिष्ट–4 पर हैं.

13.2 खादी के लिये विशिष्ट प्रावधान परिशिष्ट–5 पर हैं.

13.3 शिल्पकला के लिये विशिष्ट प्रावधान परिशिष्ट–6 पर हैं.

13.4 रेशम एवं टसर प्री फैब्रिक स्टेज के लिए विशेष प्रावधान परिशिष्ट–7 पर हैं.

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट – 1

(1) "ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता विकासखण्ड"

प्रदेश के सभी विकासखंडों में ग्रामीण एवं शहरी औद्योगिक पार्कों (RIPA & UIPA) को उच्च प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित उद्योग माना जायेगा और ग्रामीण एवं शहरी औद्योगिक पार्कों (RIPA & UIPA) में लगे हुये समस्त उद्योगों को उच्च प्राथमिकता विकासखंड में लगे हुये उद्योगों को मिलने वाली छूट/रियायत की पात्रता होगी, चाहे ग्रामीण एवं शहरी औद्योगिक पार्कों (RIPA & UIPA) प्रदेश के किसी भी विकासखंड में क्यों न स्थापित हो.

(2) "ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हेंडलूम उद्योग के लिये" उच्च प्राथमिकता विकासखण्ड ।

क्र	जिला	विकासखण्ड
1	राजनांदगांव	खैरागढ़ ,राजनांदगांव , डोंगरगढ़, डोंगरगांव
2	बालोद	बालोद ,गुरूर, डौण्डी, डौण्डीलोहारा, गुण्डरदेही
3	दुर्ग	पाटन
4	धमतरी	कुरूद, धमतरी
5	बलौदाबाजार	कसडोल
6	महासमुन्द	सराईपाली, बसना
7	कांकेर	चारामा
8	कोरबा	करतला, कटघोरा
9	रायगढ़	रायगढ़
10	जांजगीर–चांपा	बम्हनीडी, बलौदा, सक्ति, डभरा ,जैजेपुर, नवागढ़
11	गरियाबंद	देवभोग
12	बिलासपुर	बिल्हा
13	सारंगढ़	बिलाईगढ, सारंगढ़

(3) " ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत खादी के लिये" उच्च प्राथमिकता विकासखण्ड ।

क्र	जिला	विकासखण्ड
1	बस्तर	बस्तानार, बस्तर, बकावण्ड, लोहाण्डीगुड़ा, तोकापाल, दरभा
2	कांकेर	भानुप्रतापपुर ,नरहरपुर ,चारामा, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, दुर्गु कोण्दल
3	नारायणपुर	नारायणपुर, औरछा
4	कोण्डागांव	कोण्डागांव, केशकाल, फरसगांव, माकड़ी, बड़ेराजपुर
5	बीजापुर	बीजापुर, भैरमगढ़, भोपाल पट्टनम, उसूर
6	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआकोण्डा
7	सुकमा	सुकमा, छिन्दगढ़, कोन्टा,
8	रायगढ़	रायगढ़, धरमजयगढ़, लैलूंगा, घरघोड़ा, तमनार, पुसौर, खरसिया, बरमकेला
9	सरगुजा	सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुण्ड्रा, बतौली, मैनपाटा
10	गरियाबंद	मैनपुर, देवभोग
11	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार, सिंमगा, भाटापारा, पलारी, कसडोल
12	जशपुर	जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल, मनौरा, दुलदुला, फरसाबाहार, बगीचा
13	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	मरवाही
14	राजनांदगांव,	छुरिया
15	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	मोहला, मानपुर,अम्बागढ़ चौकी
16	बलरामपुर	बलरामपुर, कुसनी, राजपुर, रामानुजनगर, शंकरगढ़, वाड्रफनगर
17	कोरिया	बैकुण्ठपुर, सोनहत
18	मन्द्रेगढ़–चिरमिरी –भरतपुर	मन्द्रेगढ़, भरतपुर, खड़गांवा
19	सूरजपुर	प्रतापपुर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओडगी

(4) " ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत रेशम के लिये" उच्च प्राथमिकता विकासखण्ड ।

क्र	जिला	विकासखण्ड
1	जांजगीर	बलौदा, अकलतरा, पामगढ़,चांपा
2	सक्ती	सक्ती
3	बिलासपुर	कोटा, बिल्हा, तखतपुर, मस्तुरी
4	गौरेला–पेड्रा–मरवाही	गौरेला–पेंड्रा
5	मुंगेली	मुंगेली, पथरिया, लोरमी
6	कोरबा	कटघोरा, करतला, पोडीउपरोडा, पाली
8	सूरजपुर,	प्रेमनगर, सुरजपुर भैयाथान
9	बलरामपुर	राजपुर, बलरामपुर
10	कोरिया	बैकुण्ठपुर, सोनहत
11	रायगढ़	धरमजयगढ़, खरसिया, रायगढ़
12	सारंगढ–बिलाईगढ	सारंगढ
13	जशपुर	फरसाबहार, कांसाबेल, कुनकुरी
14	रायपुर	घरसींवा
15	गरियाबंद	फिंगेश्वर
16	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार
17	महासमुंद	बसना, बागबाहरा, महासमुंद, पिथोरा
18	राजनांदगॉव	राजनांदगॉव, छुरिया
19	धमतरी	धमतरी, कुरूद
20	बेमेतरा	नवागढ़
21	कबीरधाम	बोडला, लोहारा
22	बस्तर	बकावण्ड, तोकापाल, बस्तर, जगदलपुर, नानगुर
23	नारायणपुर	नारायणपुर
24	कोण्डागांव	कोण्डागांव, केशकाल
25	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा, गीदम, बारसुर
26	सुकमा	सुकमा
27	बीजापुर	बीजापुर, भैरमगढ़, उसुर, भोपालपटनम
28	कांकेर	कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर
29	मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर	भरतपुर, खडगवां

(5) " ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हस्तशिल्प के लिये" उच्च प्राथमिकता विकासखण्ड

क्र.	जिला	विकासखण्ड
1	बस्तर	जगदलपुर, बस्तानार, बस्तर, बकावण्ड, लोहाण्डीगुड़ा, तोकापाल, दरभा
2	कांकेर	कांकेर भानुप्रतापपुर ,नरहरपुर ,चारामा, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, दुर्गु कोण्दल
3	नारायणपुर	नारायणपुर, औरछा
4	कोण्डागांव	कोण्डागांव, केशकाल, फरसगांव, बडेराजपुर
5	बीजापुर	बीजापुर, भैरमगढ़, भोपाल पट्टनम, उसूर,
6	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआकोण्डा
7	सुकमा	सुकमा, छिन्दगढ़, कोन्टा,
8	रायगढ़	रायगढ़, धरमजयगढ़, लैलूंगा, घरघोड़ा, तमनार, पुसौर, खरसिया, बरमकेला
9	सरगुजा	सीतापुर, अम्बिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुण्ड्रा, बतौली, मैनपाटा
10	गरियाबंद	गरियाबंद, फिंगेश्वर, छुरा, मैनपुर, देवभोग
11	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार, सिंमगा, भाटापारा, पलारी, कसडोल
12	बिलासपुर	बिलासपुर, तखतपुर, बिल्हा, मस्तुरी, कोटा
13	जशपुर	जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल, मनौरा, दुलदुला, फरसाबाहार, बगीचा

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योग

(1) सामान्य उच्च प्राथमिकता उद्योग

1. गोबर से बने उत्पादन जैसे– गोबर पेन्ट, गोबर काष्ट, गोबर के गमले, गोबर के दीये, रंगोली, रंग, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर गैस, गोबर से बिजली बनाना आदि।
2. गौ–मूत्र से बने उत्पाद जैसे– गौ–मूत्र पेस्टीसाईड आदि।
3. वनोपज से बने उत्पाद जैसे – महुआ बार, महुआ लड्डू, एलोवेरा के उत्पाद, वनौषधी, रस्सी, झाड़ू, दोना–पत्तल, बॉस की सामाग्री आदि।
4. फल सब्जीयों को सूखा कर या अन्य प्रकार से प्रिजर्व करके बने उत्पाद।
5. इमली, आम, सालबीज, आदि से बने उत्पाद

(2) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हेंडलूम के लिये

क्र.	उच्च प्राथमिकता उद्योग
1	हैण्डलूम विविंग इकाई
2	यार्न डाईग इकाई
3	फैब्रिक डाईग/प्रोसेसिंग इकाई

(3) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत खादी के लिये

क्र.	उच्च प्राथमिकता उद्योग
1	गोबर, गौ–मूत्र तथा अन्य अपशिष्ट से संबंधित उद्योग
2	शल्य चिकित्सकीय पट्टी निर्माण
3	मुर्गी पालन
4	मधुमक्खी एवं लाख पालन
5	वनोपज एवं जड़ी–बूटियों का संग्रह

(4) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत रेशम एवं टसर प्री–फैब्रिक स्टेज तक के लिये

क्र.	उच्च प्राथमिकता उद्योग
1	मलबरी / टसर ग्रेनेज कार्य,
2	मलबरी टसर / कृमिपालन कार्य
3	मलबरी / टसर धागाकरण कार्य

(5) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हस्तशिल्प के लिये

क्र.	उच्च प्राथमिकता उद्योग
1	बेलमेटल, ढोकरा
2	लौह शिल्प
3	गोदना शिल्प
4	बांस शिल्प
5	काष्ठ शिल्प

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत प्राथमिकता उद्योग

(1) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हेंडलूम के लिये

क्र.	प्राथमिकता उद्योग
1	स्टिचिंग इकाई
2	एम्ब्रायडरी इकाई

(2) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत खादी के लिये

क्र.	प्राथमिकता उद्योग
1	पत्थर की कटाई, पिसाई, नक्काशी तथा खुदाई
2	अगरबत्ती उद्योग
3	बांस एवं बेत कार्य
4	लिफाफा, कॉपी, रजिस्टर और कागज से बनाई जाने वाली अन्य लेखन–सामग्रियों का निर्माण
5	जूट उत्पादो का निर्माण
6	मोमबत्ती, कपूर और मोहरवाली मोम का निर्माण
7	ईत्र निर्माण

(3) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हस्तशिल्प के लिये

क्रं.	प्राथमिकता उद्योग
1	माटीकला शिल्प
2	छिंदकाँसा
3	कालीन शिल्प
4	भित्तिचित्र

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हैंडलूम के लिये विशेष प्रावधान

(ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें)

क्र.	सेक्टर	विवरण
1	प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास	1. डिजाइन विकास के लिये NIFT, NID, IIHT, IICD के विशेषज्ञो के माध्यम से डिजाइन कार्यशाला का आयोजन। 2 डिजाइन विकास के लिये कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाईल डिजाईन सिस्टम (CATD) का प्रयोग।
2	अधोसंरचना सहायता	1. निजी क्षेत्र में डाईंग/प्रोसेसिंग इकाई की वृहद, मध्यम एवं लघु इकाई की स्थापना को प्राथमिकता।
3	वित्तीय सहायता	1. इंटिग्रेटेड हैण्डलूम पार्क एवं सेंटर आफ एक्सीलेंस इकाई की स्थापना को प्राथमिकता। 2. टेक्सटाइल/हैण्डलूम विविंग, टेक्सटाइल डिजाइन अथवा फैशन डिजाइन में स्नातक उत्तीर्ण छात्रो को स्व रोजगार हेतु होम फर्नीशिंग/गारमेंटिंग/अपैरल इकाई की स्थापना के लिये प्रोत्साहन।
4	विपणन सहायता	1. विभिन्न रिटेल संस्थानों रिलायंस रिटेल, टाटा तनेइरा, फैब इंडिया, शापर्स स्टाप, विल्समार्ट, आई–टोकरी, गो–कूप आदि संस्थानो से हाथकरघा वस्त्रों के विक्रय हेतु समन्वय। 2. महानगरों में आधुनिक एम्पोरियम की स्थापना/संचालन। 3. राज्य में हैण्डलूम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन केन्द्रो में मार्केटिंग काम्पलेक्स की स्थापना। 4. हैण्डलूम मड़ई का आयोजन 5. हाथकरघा वस्त्रों में एपैरल उत्पाद को बढ़ावा

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत खादी के लिए विशेष प्रावधान

(ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें)

क्र.	सेक्टर	विशेष प्रावधान का विवरण
1	वित्तीय सहायता	1. सीएमईजीपी/पीएमईजीपी योजनांतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। 2. उद्योग विभाग द्वारा जारी अन्य प्रकार के अनुदान एवं विभिन्न प्रकार के अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। 3. कत्तिनों/बुनकरों को रियायती दर पर उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा।
2	अधोसंरचना सहायता	1. रीपा के माध्यम से अधोसंरचना विकास किया जाएगा। 2. विभागीय बजट से उत्पादन केन्द्रों का उन्नयन एवं नवीन केन्द्र की स्थापना की जाएगी। 3. विभागीय ऋण योजनांतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।
3	प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास	1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रो, NIRD, NID एवं अन्य तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जावेगी।
4	विपणन सहायता	1. सी–मार्ट के माध्यम से ग्रामोद्योग वस्तुओं के विक्रय हेतु प्रयास किया जाएगा। 2. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में खादी वस्त्रों के शासकीय खरीदी में प्रावधान जोड़ा जाएगा। 3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों एवं अन्य मंच के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री के विपणन की व्यवस्था की जाएगी।
5	कल्याणकारी योजना	1. कत्तिनों/बुनकरों के लिए अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजना, भविष्यनिधी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा। 2. कत्तिनो बुनकरो के लिए आवास एवं कार्यशाला निर्माण हेतु राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जावेगी।
6	अन्य प्रावधान	1. प्रत्येक हितग्राही में कत्तिन बुनकर एवं ग्रामोद्योग इकाई के प्रोपराईटर के साथ समीक्षा बैठक ली जाएगी और अधिकाधिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 2. आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। 3. पारदर्शिता के साथ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 4. ग्रीन खादी के उत्पादन एवं विपणन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

परिशिष्ट–6

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं माटीकला सेक्टर के लिये विशेष प्रावधान

(ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें)

क्र.	सेक्टर	विशेष प्रावधान का विवरण
1	प्रशिक्षण योजना में छात्रवृत्ति	1. बुनियादी प्रशिक्षण– 3000/– प्रति माह/प्रति शिल्पी (छात्रवृत्ति) 2. उन्नत प्रशिक्षण–3500/– प्रति माह/प्रति शिल्पी (छात्रवृत्ति) 3. तकनीकी डिजाईन कार्यशाला– 4000/– प्रति माह/प्रति शिल्पी (छात्रवृत्ति)
2	प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षक का मानदेय	1. बुनियादी प्रशिक्षण– 15000/– (प्रति माह/प्रति प्रशिक्षक मानदेय) 2. उन्नत प्रशिक्षण– 20000/– (प्रति माह/प्रति प्रशिक्षक मानदेय) 3. तकनीकी डिजाईन कार्यशाला– 25000/– (प्रति माह/प्रति प्रशिक्षक मानदेय)
3	उन्नत औजार उपकरण अनुदान	अधिकतम सीमा राशि रू. 25000/– तक (प्रति शिल्पी)
4	कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान	योजनांतर्गत अनुदान सहायता अधिकतम सीमा राशि रू. 75000/– तक प्रति शिल्पी (स्वयं की भूमि होना अनिवार्य)
5	सहकारी संस्थाएँ/स्वयं सेवी संस्थाएँ को अनुदान	1. कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान– राशि रू. 2.00 लाख, 2. उन्नत औजार उपकरण – राशि रू. 0.75 लाख 3. कच्चामाल क्रय हेतु कार्यशील पूंजी अनुदान– राशि रू. 0.75 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 3.50 लाख प्रदाय की जावेगी।
6	राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	चयनित प्रति शिल्पी को राशि रू. 50000/– पुरस्कार देय होगा।
7	प्रदर्शनी प्रचार–प्रसार योजना	शिल्पियों का मानदेय – 300/– प्रति शिल्पी, प्रति दिन देय होगा।
8	कुम्हार टेराकोटा शिल्प योजना	पंजीकृत शिल्पियों को निःशुल्क विद्युत चॉक वितरण किया जावेगा।
9	विपणन योजनांतर्गत	शिल्पियों को निःशुल्क बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

परिशिष्ट –7

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत रेशम सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान

(ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें)

क्र.	सेक्टर	विशेष प्रावधान
1	सीड सेक्टर	टसरकोसा कृमिपालन करने वाले सभी हितग्राहियो को स्वस्थ डिम्ब समूह पर सहायता
2	प्री ककून सेक्टर	लघु एवं सीमांत कृषकों को व्यक्तिगत क्षेत्र में मलबरी सिल्क वार्म रेयलिंग के लिए सहायता
3	पोस्ट ककून सेक्टर	बस्तर संभाग में चयनित सभी धागा करकों को शतप्रतिशत अनुदान पर धागाकरण मशीन तथा 30 दिवस के क्रेडिट पर टसर कोसाफल पर सहायता सभी प्रकार के धागाकरण मशीनों पर काम करने पर सहायता

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग